

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ़



फातमा

बनाम

मोहम्मद अली आदि

किस्म मुकदमा : 53, 188 RTA

प्रकरण संख्या 852 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
18.12.2023	<p>यह वादपत्र वादीया की ओर से जरिये अधिवक्ता पेश किया गया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु वकील वादीया रजिस्टर सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण दिनांक : 18/01/2024 को पेश हो।</p>	
18/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई श्रीमत् श्री.ओ. ब्राह्मण - प्रतिवादी संख्या 1 का 6 वीं अ.श. वार्म - म. नारायण और के नरेंद्र विशोर वि. पत्रावली कि 20/12/24 को पेश हो। न. क. प्रवालनामा पुत्र श्री रामचन्द्र मिश्र विम (प्रावली) श्री - अ. नारायण - हेतु</p>	
20/12/24	<p>वकील वादी उपस्थित - प्रतिवादी संख्या 1 का 6 वीं और के नरेंद्र विशोर वि. उपस्थित अर्थात् हेतु लगभग चाहे पत्र अर्थात् हेतु दिनांक 24/12/24 को पेश हो</p>	
19/12/24	<p>वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली पेशी में ली गई वकील वादी वादी के निवेदन विभागीय लम पश्चरान का आपस में राजीनामा हो गया इतिहास वाद नहीं चलाया चाहे खारिज अर्थात् वादी के वाद नहीं चलाये के कारण खारिज विम जाण व पत्रावली जरिये अहकाम</p>	 फातमा पट्टयावर 

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

